T.S. No. 189/10

डा. 8.22 इस्तगासा पक्ष की पेशी है।

वादिनी की ओर से दिनांक 12.3.20 को दाखिल आवेदन पत्र को संचालित करते हुए प्रार्थना किया गया कि प्रतिवादी संख्या 2 दामोदर पाण्डेय की मृत्यु दिनांक 20-1-20 को हो चुकी है उनके पत्नी पार्वती देवी एवं पुत्री विजयकुमारी उनके विधिक वारिस है अतः प्रतिवादी-2 दामोदर पाण्डेय का नाम काटा जाकर उनके वारिसान का नाम प्रतिस्थापित किया जाय। प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा आपत्ति दर्ज किया गया। वादी के अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया वादिका आवेदन सम्यक रूप से अंकित है तथा आवेदन की पूर्ति में शपथ पत्र भी दाखिल है। अतः वादिका आवेदन दिनांक 12.3.20 को स्वीकृत किया जाता है।

वादी के अधिवक्ता अपनी उपस्थिति में नामांतरण लिखित रूप से नाम काटकर तथा वारिसान का नाम प्रतिस्थापित कराने तथा वारिसानों की उपस्थिति की व्यवस्था करावे।

दिनांक 21-10-22 को घोषित

उपस्थिति।

अवर न्यायाधीश III